भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1018
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास

1018. **एडवोकेट चन्द्र शेखर:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, कुपोषण और बाल संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 'मिशन शक्ति', 'मिशन वात्सल्य' और 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के अंतर्गत आवंटित निधि/किए गए व्यय और लाभार्थियों की राज्य वार संख्या कितनी है,

(ग) देश में आंगनवाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण, पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करने और डिजिटल निगरानी प्रणाली को कार्यान्वित करने में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, पोषण और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, पोषण और सर्वांगीण विकास के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है और उन्हें तीन व्यापक मिशनों अर्थात: (1) पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0; (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा, देखरेख और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में समेकित किया गया है । इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(**i**) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0):** 15वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष];

आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत पुनर्गठित किया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, पात्र लाभार्थियों को छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है जिनमें पूरक पोषण (एसएनपी), विधालय-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं। इन छह सेवाओं में से तीन अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और जन स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत समग्र आयोजना और नीति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जबकि इसका दैनिक कार्यान्वयन राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के दायरे में आता है।

इसके अतिरिक्त, किशोरियों के लिए योजना को 01.04.2022 से संशोधित किया गया और इसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों (14-18 वर्ष) को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है ताकि पोषण घटक के अंतर्गत उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार हो सके और गैर-पोषण घटक के तहत उन्हें आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल विकास आदि सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस योजना की लक्षित लाभार्थी आकांक्षी जिलों और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियां हैं।

(ii)मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करना है। यह मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय को बेहतर बनाने के लिए कार्यनीतियां प्रस्तावित करने पर केंद्रित है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्रमशः 'संबल' और 'सामर्थ्य' नामक दो उप-योजनाएं शामिल हैं।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

- **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)-**वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) पूरे देश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।
- **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)-** महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181) आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। यह पूरे देश में हिंसा से

प्रभावित महिलाओं को सहायता तथा सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी देती है।

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)-** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को शुरु की गई थी। इसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) तथा जीवन चक्र के दौरान बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना ने सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके एक नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है।
- **नारी अदालत-**नारी अदालत योजना ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है। इन अदालतों को पंचायत स्तर पर, संकटग्रस्त महिलाओं को घरेलू हिंसा और लिंग आधारित अन्य हिंसा से संबंधित छोटे मामलों को बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलह के माध्यम से हल करने में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** पीएमएमवीवाई केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए 5,000/-रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को शेष नकद प्रोत्साहन राशि संस्थागत प्रसव के बाद, जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को 6,000/- रुपए मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000/- रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा बेटी हो।
- **शक्ति सदन-** व्यापक 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत, कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए पहले की 'स्वाधार गृह' योजना और मानव दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए 'उज्ज्वला गृह' योजना का 1 अप्रैल, 2022 से विलय कर दिया गया जिसे अब 'शक्ति सदन योजना' के नाम से जाना जाता है। यह एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है जो संकटग्रस्त महिलाओं, जिनमें दुर्व्यापार की शिकार महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करना है ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें।
- **सखी निवास-**सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए सीधे

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थानों पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

- **पालना-**पालना योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य शिशु गृहों (क्रेच) की उपलब्धता का विस्तार करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर जगह महिलाओं को काम करने का अवसर मिले और देखरेख संबंधी जिम्मेदारियों के कारण वे कार्यबल से बाहर न रहें। पालना का लक्ष्य 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डे-केयर शिशु गृह (क्रेच) की सुविधा प्रदान करना है।
- **संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)-**संकल्प: एचईडब्ल्यू (महिला सशक्तिकरण केंद्र) मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान की कमी को दूर करने के साथ-साथ उन्हें लाभ और हक प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के रूप में कार्य करता है।

(**iii**) **मिशन वात्सल्य:** मिशन वात्सल्य [पूर्व में बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)] केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बेहतर पहुंच और संरक्षण सेवाएं प्रदान की जा सकें, इसमें मिशन मोड में संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल है जिसका उद्देश्य: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सहायता और पालन-पोषण करना, (ii) विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना, (iii) नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना और (iv) यदि आवश्यक हो तो पूरक निधि देकर समन्वित कार्रवाई को सुदृढ़ करना है।

इस योजना के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों के लिए आपातकालीन सहायता सेवाएं (24x7) भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधि का राज्य-वार एवं वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत पोषण सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) को बढ़ावा देने हेतु 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को 40,000 आंगनवाड़ी केंद्र प्रति वर्ष की दर से सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत करने का विचार है। सक्षम आंगनवाड़ियाँ पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में उन्नत अवसंरचना से सुसज्जित हैं, जिनमें एलईडी स्क्रीन, जल शोधक/आरओ मशीन, पोषण वाटिका, ईसीसीई किट तथा बाला 'बिल्डिंग एज़ लर्निंग एड' पेंटिंग जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अब तक, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नयन हेतु कुल 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,23,532 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जा चुका है। इसमें तीन अनुमोदित घटकों का प्रावधान शामिल है, जिनमें एलईडी स्क्रीन एक प्रमुख घटक है। सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन हेतु राज्य-वार स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों का दिनांक 16 जुलाई 2026 तक विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में उल्लिखित पोषण मानदंडों के अनुसार बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है। इन मानदंडों में जनवरी 2023 में संशोधन किया गया है। पुराने मानदंड ज़्यादातर कैलोरी-आधारित थे; जबकि संशोधित मानदंड, आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित हैं और पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिनमें गुणवत्ता वाले प्रोटीन, लाभदायक वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व (कैल्शियम, जिंक, आयरन, आहार फोलेट, विटामिन ए, विटामिन-बी 6 और विटामिन बी-12) का प्रावधान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अनुसार, गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों को अतिरिक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

आहार-विविधता को प्रोत्साहित करने तथा संपूर्ण स्थानीय खाद्य पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका तैयार की गई हैं। पोषण वाटिकाएं वर्ष-भर विभिन्न प्रकार के फल, मेवे, जड़ी-बूटी, औषधीय पौधे एवं सब्जियां उपलब्ध कराकर आहार-विविधता संबंधी उस महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने में सहायक हैं, जिसे विभिन्न सर्वेक्षणों में बार-बार बताया गया है। पोषण वाटिका की अवधारणा को कार्यान्वित करने का मुख्य उद्देश्य समुदाय के सदस्यों को अपने घरों के पीछे (बैकयार्ड में) स्थानीय खाद्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने एवं उसका उपचार करने तथा इससे जुड़ी बीमारियों और मृत्यु दर को कम करने के लिए कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन हेतु संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है। इस समुदाय-आधारित अवधारणा में, समुदाय में गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित बच्चों की समय पर पहचान और स्क्रीनिंग करना शामिल है। जिन बच्चों में कोई चिकित्सीय जटिलताएँ नहीं होतीं, उनका प्रबंधन घर पर ही पौष्टिक, स्थानीय

भोजन और सहायक चिकित्सीय देखरेख के माध्यम से किया जाता है। उक्त प्रोटोकॉल में 6 महीने से 6 वर्ष तक की आयु के उन बच्चों के लिए 'भूख परीक्षण' और स्क्रीनिंग प्रक्रिया शामिल है, जो गंभीर तीव्र कुपोषण या गंभीर रूप से अल्प वज़न के हैं। स्क्रीनिंग के बाद, ऐसे बच्चों को आगे की देखरेख के लिए 'पोषण पुनर्वास केंद्रों' या अस्पतालों में भेजा जाता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में से एक है सामुदायिक जुटाव और जागरूकता का प्रसार करना, जिसका उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं पर शिक्षित करना है, क्योंकि पोषण की अच्छी आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर एवं मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह तथा पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण क्रियाकलाप कर रहे हैं और उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण तौर-तरीकों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है तथा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने अपेक्षित हैं। वर्ष 2018 से जून 2026 तक कुल 10.8 करोड़ सीबीई आयोजित किए गए हैं। वर्ष 2018 से अब तक 15 जन आंदोलनों के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां संचालित की गई हैं।

'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन को 1 मार्च 2021 को एक महत्वपूर्ण निगरानी उपकरण के रूप में शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निर्धारित संकेतकों के आधार पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर के तहत प्रोधोगिकी का उपयोग बच्चों में बौनापन, दुबलापन और अल्प-वजन के प्रचलन की निरंतर पहचान के लिए किया जा रहा है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों को समय पर खोलना, दैनिक उपस्थिति, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा, बच्चों की शारीरिक वृद्धि निगरानी, गर्म पका हुआ भोजन/ टेक होम राशन, विकास मापन आदि के लगभग तत्समय(रियल टाइम) डेटा संग्रह को सुगम बनाया है। अंतिम लाभार्थी तक सेवा प्रदायगी का पता लगाने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) विकसित की है ताकि टेक होम राशन प्रदायगी को सुनिश्चित किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत इच्छित लाभार्थी को ही मिले। पोषण ट्रैकर में नामित व्यक्ति मॉड्यूल शुरू किया गया है ताकि लाभार्थियों यथा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को टेक होम राशन (टीएचआर) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यदि किसी कारणवश पंजीकृत लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर एफआरएस के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो वे अपनी ओर से किसी नामांकित व्यक्ति को टीएचआर प्राप्त करने के लिए नामित कर सकती हैं।

*****

अनुलग्नक-I

'महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास' के संबंध में एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1018 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के तहत जारी की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण।

I. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	12.15	9.63	8.1
2	आंध्र प्रदेश	705.68	645.73	759.76
3	अरुणाचल प्रदेश	162.06	102.61	118.5
4	असम	2233.31	2482.34	1548.67
5	बिहार	1859.29	2262.92	905.43
6	चंडीगढ़	19.79	14.56	9.87
7	छत्तीसगढ़	579.46	733.3	518.22
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	11.97	9.13	5.92
9	दिल्ली	161.81	160.41	150.21
10	गोवा	13.95	13.44	19.74
11	गुजरात	1126.8	601.32	699.13
12	हरियाणा	225.78	232.69	67.12
13	हिमाचल प्रदेश	301.09	313.07	328.59
14	जम्मू एवं कश्मीर	530.88	662.79	401.62
15	झारखंड	664.3	496.95	429.26
16	कर्नाटक	912.96	886.85	863.64
17	केरल	306.64	435.74	283.81
18	लद्दाख	19.62	18.89	16.41
19	लक्षद्वीप	2.88	1.35	0.82
20	मध्य प्रदेश	1123.11	1144.54	937.45
21	महाराष्ट्र	1699.52	1368.84	1405.45
22	मणिपुर	201.28	342.87	199.99
23	मेघालय	269.69	137.93	182.04
24	मिजोरम	100.27	55.29	52.69
25	नागालैंड	262.91	147.01	146.29
26	ओडिशा	968.8	948.16	911.27
27	पुद्दुचेरी	4.48	3.68	4.02

28	पंजाब	307.87	265.48	190.73
29	राजस्थान	1091.96	741.85	843.51
30	सिक्किम	33.49	18.07	18.21
31	तमिलनाडु	880.79	638.47	636.6
32	तेलंगाना	507.87	430.76	209.2
33	त्रिपुरा	244.22	153.41	154.73
34	उत्तर प्रदेश	2668.69	2694.62	2145.42
35	उत्तराखंड	288.24	216.33	271.05
36	पश्चिम बंगाल	1237.56	1513.8	1333.9

II. मिशन वात्सल्य

(**करोड़ रुपए**)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	आंध्र प्रदेश	25.01	44.03	38.72
2	अरुणाचल प्रदेश	24.35	5.32	7.74
3	असम	59.66	31.39	29.61
4	बिहार	65.18	53.35	51.95
5	छत्तीसगढ़	44.66	39.10	28.79
6	गोवा	0.00	5.14	3.07
7	गुजरात	47.10	19.50	2.49
8	हरियाणा	16.17	6.40	7.85
9	हिमाचल प्रदेश	21.15	37.68	22.56
10	जम्मू एवं कश्मीर	43.64	44.75	33.79
11	झारखंड	37.66	18.73	31.64
12	कर्नाटक	90.94	86.48	45.48
13	केरल	22.27	12.03	13.80
14	मध्य प्रदेश	60.85	117.24	61.82
15	महाराष्ट्र	95.38	144.97	78.90
16	मणिपुर	29.24	68.15	34.36
17	मेघालय	31.28	22.30	42.75
18	मिजोरम	53.09	37.06	33.65
19	नागालैंड	29.28	33.92	25.66
20	ओडिशा	60.28	68.83	51.92
21	पंजाब	15.44	14.76	13.94
22	राजस्थान	42.84	74.98	30.43
23	सिक्किम	5.80	16.21	8.51
24	तमिलनाडु	128.70	122.82	89.14
25	तेलंगाना	39.98	36.97	27.26

26	त्रिपुरा	32.09	19.23	18.11
27	उत्तर प्रदेश	103.57	92.05	107.15
28	उत्तराखंड	32.63	14.49	20.14
29	पश्चिम बंगाल	57.42	70.18	47.50
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	2.68	3.13	3.60
31	चंडीगढ़	5.83	7.63	4.90
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3.19	9.91	2.89
33	दिल्ली	3.89	7.62	6.63
34	लक्षद्वीप	0.36	0.00	0.09
35	लद्दाख	4.39	3.81	3.20
36	पुद्दुचेरी	5.67	4.17	3.21

III. मिशन शक्ति

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.04	0.88	1.70
2	आंध्र प्रदेश	76.56	50.50	47.73
3	अरुणाचल प्रदेश	9.03	12.17	11.11
4	असम	204.96	98.64	39.07
5	बिहार	1.58	151.29	218.22
6	चंडीगढ़	5.32	4.96	6.16
7	छत्तीसगढ़	30.40	79.56	94.72
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.31	5.26	2.64
9	दिल्ली	31.45	25.80	8.77
10	गोवा	0.94	2.68	2.06
11	गुजरात	97.94	82.39	72.30
12	हरियाणा	11.71	38.78	33.52
13	हिमाचल प्रदेश	19.85	31.98	27.30
14	जम्मू और कश्मीर	58.40	58.88	34.27
15	झारखंड	13.66	39.51	56.77
16	कर्नाटक	144.85	174.93	85.62
17	केरल	69.17	11.15	77.66
18	लद्दाख-यूटी	1.87	1.93	2.28
19	लक्षद्वीप	0.69	0.27	0.50
20	मध्य प्रदेश	136.15	279.83	131.73
21	महाराष्ट्र	30.32	154.62	160.88
22	मणिपुर	40.65	26.23	27.84
23	मेघालय	7.58	10.25	21.91
24	मिजोरम	14.44	19.59	22.55
25	नागालैंड	18.63	26.56	12.10
26	ओडिशा	13.85	57.10	40.84
27	पुद्दुचेरी	1.37	2.30	3.10
28	पंजाब	42.89	38.05	38.43
29	राजस्थान	144.17	106.43	115.84
30	सिक्किम	5.14	2.90	5.82
31	तमिलनाडु	44.48	124.85	159.36
32	तेलंगाना	22.12	16.04	26.31
33	त्रिपुरा	14.53	13.59	16.51
34	उत्तर प्रदेश	40.02	34.81	34.39
35	उत्तराखंड	41.80	28.07	49.11
36	पश्चिम बंगाल	7.20	6.42	7.92

अनुलग्नक-II

‘महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास’ के संबंध में एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1018 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

मंत्रालय की योजनाओं के तहत शामिल लाभार्थियों का विवरण

मिशन	योजना	वर्ग	लाभार्थियों की संख्या
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवंम पोषण 2.0 (30.06.2026 तक)		गर्भवती महिलाएं	61,98,879
		स्तनपान कराने वाली माताएं	45,64,413
		बच्चे (0-6 वर्ष)	7,72,54,990
		किशोरियां	15,81,540
मिशन वात्सल्य (वित्तीय वर्ष 2025-26)		संस्थागत देखभाल के तहत लाभार्थी	80,511
		गैर-संस्थागत देखभाल के तहत लाभार्थी	1,70,598
मिशन शक्ति	वन स्टॉप सेंटर (30.06.2026 तक)	सहायता प्राप्त महिलाएं	15,80,000
	महिला हेल्पलाइन (30.06.2026 तक)	सहायता प्राप्त महिलाएं	1,04,00,000

	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (20.07.2026 तक)	भुगतान प्राप्त लाभार्थी	4,54,00,000
	शक्ति सदन (वित्त वर्ष 2025-26)	शक्ति सदन में लाभार्थी	42,822
	सखी निवास (वित्त वर्ष 2025-26)	सखी निवास में लाभार्थी	56,815
	पालना (20.07.2026 तक)	क्रेच में लाभार्थी	43000
	संकल्प: एचईडब्ल्यू(15.07.2026 तक)	महिला लाभार्थी	2,78,620

अनुलग्नक-III

'महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास' के संबंध में एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1018 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन के लिए अनुमोदित आंगनवाड़ी केंद्रों का राज्य-वार विवरण (16 जुलाई 2026 तक)

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्वीकृत	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकृत	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत	कुल स्वीकृत
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	86	54	140
आंध्र प्रदेश	1,105	1,763	7,090	9,958
अरुणाचल प्रदेश	100	0	52	152
असम	3,963	815	629	5,407
बिहार	3,566	3,550	4,413	11,529
चंडीगढ़	0	0	69	69
छत्तीसगढ़	4,750	1,740	5,000	11,490
गोवा	0	24	0	24
गुजरात	1,250	0	11,897	13,147
हरियाणा	10	0	2,794	2,804
हिमाचल प्रदेश	100	25	905	1,030
जम्मू एवं कश्मीर	86	50	202	338
झारखंड	6,850	0	9,925	16,775
कर्नाटक	100	178	17,454	17,732
केरल	250	1,710	2,192	4,152
लद्दाख	0	0	14	14
लक्षद्वीप	0	0	18	18
मध्य प्रदेश	2,220	9,486	12,956	24,662
महाराष्ट्र	1,150	589	13,006	14,745
मणिपुर	30	0	0	30
मेघालय	100	8	13	121
मिजोरम	100	988	512	1,600
नागालैंड	100	49	0	149

ओडिशा	6,000	1,084	5,056	12,140
पुद्दुचेरी	0	65	70	135
पंजाब	100	0	253	353
राजस्थान	213	340	2,961	3,514
सिक्किम	100	335	0	435
तमिलनाडु	800	5,590	5,582	11,972
तेलंगाना	500	3,529	979	5,008
त्रिपुरा	200	245	29	474
उत्तर प्रदेश	2,349	17,845	3,503	23,697
उत्तराखंड	350	213	264	827
पश्चिम बंगाल	4,750	609	0	5,359
कुल	**41192**	**50916**	**107892**	**200000**